



राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर



क्रमांक.सं.3-6(8)स्था/मंत्रा/अभि/2013/3156-67 जयपुर दिनांक-

31/03/23

पदोन्नति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर श्री प्रताप लाल माली पुत्र श्री चर्तुभुज (सामान्य) के विरुद्ध कार्मिक (क-3) विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2002 के द्वारा 16 सी.सी.ए की कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण इनकी पदोन्नति का निर्णय उक्त जॉच के निर्णयाधीन सीलकवर लिफाफे में रखा गया था, वर्तमान में कार्मिक (क-3) विभाग के आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित जॉच दिनांक 21.02.2022 में इनके विरुद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने पर श्री प्रताप लाल माली पुत्र श्री चर्तुभुज (सामान्य) को वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के विरुद्ध, लिपिक ग्रेड-प्रथम से सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम 2008 के वेतन बैंड (2) 9300-34800, ग्रेड पे (11) 3600/- में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता सहायक कार्यालय अधीक्षक पद पर श्री ईश्वर दास पुत्र श्री धन्नालाल के नीचे व श्री ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री रामस्वरूप के ऊपर रहेगी।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर ।
4. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन
5. संस्थापन अधिकारी, अभियोजन निदेशालय जयपुर ।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा :-सहायक निदेशक अभियोजन
7. निजी पत्रावली /रक्षित पत्रावली संस्थापन शाखा (वरिष्ठ मंत्रालयिक), अभियोजन निदेशालय जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Rav Sharma
Designation: Director
Date: 2023.03.20 17:21:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3501865

